

प्रेस ब्रीफ

आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़े पर सृष्टि हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ EOW ने दर्ज किया अपराध

45 doctors दिखाए किंतु मात्र 15 उपलब्ध

डॉक्टरों की सूची में फर्जी नाम दिखाए

कई डॉक्टरों को एक से अधिक बार दिखाया

सभी डॉक्टरों के नाम के आगे संचालक का mobile number लेख किया.

पैथोलॉजिस्ट के फर्जी हस्ताक्षर से लैब रिपोर्ट जारी की

-

आयुष्मान भारत योजना से जुड़ने के लिए एक निजी अस्पताल ने अपनी डॉक्टरों की सूची में ऐसे नाम दिखाए जो वहाँ कभी काम ही नहीं करते थे, और एक ही नाम को चार-चार बार जोड़कर स्टाफ बढ़ा-चढ़ाकर बताया। **आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ**, ने करोड़ स्थित सृष्टि हॉस्पिटल के खिलाफ मिली शिकायत की जाँच में प्रथम दृष्टया में पाया कि अस्पताल ने योजना में शामिल होने और बने रहने के लिए झूठी स्टाफ सूची दी, एक पैथोलॉजिस्ट के नाम और सील से ऐसी जाँच रिपोर्टें जारी कीं जिन पर हस्ताक्षर उनके नहीं थे, और इन्हीं के सहारे योजना के मरीजों का इलाज दिखाकर शासन से भुगतान लिया। इसी आधार पर दिनांक 05.10.2026 को आरोपी राजकुमार सूर्यवंशी, संचालक सृष्टि हॉस्पिटल, एवं अन्य के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 318(4), 336(3), 340(2) एवं 61(2) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

आयुष्मान भारत योजना में गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों का इलाज सूचीबद्ध (empanelled) अस्पतालों में मुफ्त होता है, और इलाज का पैसा शासन सीधे अस्पताल को देता है। किसी अस्पताल को इस योजना में जगह तभी मिलती है जब उसके पास पर्याप्त और योग्य डॉक्टर व स्टाफ हो। इसके लिए अस्पताल को योजना के online portal पर अपने हर डॉक्टर और कर्मचारी का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और यह जानकारी देनी होती है कि वह वहाँ वास्तव में काम कर रहा है।

जाँच में पाया गया कि सृष्टि हॉस्पिटल वर्ष 2023 में आयुष्मान भारत योजना में सूचीबद्ध हुआ था। योजना में शामिल होने के लिए अस्पताल को अपने हर डॉक्टर और स्टाफ का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और यह जानकारी देनी होती है कि वह वहाँ वास्तव में काम कर रहा है। यही सूची अस्पताल को योजना में जगह दिलाती है, और इसी के बाद उसे मरीजों के इलाज का पैसा मिलता है।

जाँच में पाया गया कि अस्पताल ने योजना के online portal पर स्टाफ की 45 entries दर्ज कीं, पर इनमें अलग-अलग नाम सिर्फ 15 के आसपास हैं। बाकी वही नाम बार-बार दोहराए गए। कई डॉक्टरों और नर्सिंग कर्मियों के नाम चार-चार बार दर्ज हैं। सभी 45 entries के आगे एक ही मोबाइल नंबर लिखा है, जो खुद अस्पताल संचालक का नंबर है।

जाँच में यह भी पाया गया कि सूची में जिस महिला पैथोलॉजिस्ट का नाम चार बार दर्ज है, वे एक मेडिकल कॉलेज में काम करती हैं। उन्होंने जाँच में बताया कि वे इस अस्पताल में कभी काम पर नहीं रहीं, न अपना कोई दस्तावेज दिया और न नाम के उपयोग की सहमति दी। नाम हटाने को कहने के बाद भी उनका नाम सूची में बना रहा।

जाँच में आगे पाया गया कि अस्पताल ने अपने "डिपार्टमेंट ऑफ पैथालॉजी" के नाम से जाँच रिपोर्टें जारी कीं, जिन पर एक MD पैथोलॉजिस्ट का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और सील लगी थी। संबंधित डॉक्टर ने जाँच में बताया कि इन रिपोर्टों पर किए गए हस्ताक्षर उनके नहीं हैं और उनके असली हस्ताक्षर से बिल्कुल अलग हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड में भी इस अस्पताल में पैथोलॉजी लैब चलाने की अनुमति दर्ज नहीं है।

जाँच में पाया गया कि विवादित हस्ताक्षर वाली कई रिपोर्टें ऐसे मरीजों की हैं, जिनका इलाज आयुष्मान योजना के तहत दिखाया गया। अस्पताल संचालक ने खुद लिखित जवाब में माना कि ये मरीज योजना के तहत भर्ती किए गए थे। योजना के रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2025 में इस अस्पताल में 709 हितग्राहियों का इलाज दर्ज है।

जाँच के दौरान बार-बार माँगने पर भी अस्पताल प्रबंधन सूची में दिखाए गए डॉक्टरों का कोई नियुक्ति-पत्र, वेतन या उपस्थिति का रिकॉर्ड, पैथोलॉजी की अनुमति, या मरीजों की इलाज फाइलें पेश नहीं कर सका।

इन तथ्यों के आधार पर आरोपी राजकुमार सूर्यवंशी, संचालक सृष्टि हॉस्पिटल, एवं अन्य के विरुद्ध के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 318(4), 336(3), 340(2) एवं 61(2) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई है। योजना से लिए गए भुगतान की कुल राशि और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जाँच विवेचना में की जा रही है।